न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बामनवास जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी प्रियंका कड़ेला आर०ए०एस०

[illegible] नम्बर – 33/2025 राजस्व प्रार्थना पत्र

उनवान

[illegible] घनश्याम पुत्र गुट्ठल जाति कुम्हार निवासी ग्राम जीवद तहसील बरनाला

–प्रार्थी

बनाम

[illegible] स्टेट हाल्डर जरिये तहसीलदार बरनाला।

–अप्रार्थी

[illegible] प्रार्थीया– श्री रामकिशोर त्रिवेदी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :– 8-10-2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 [illegible] प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 2861 रकबा [illegible] स्थित ग्राम जीवद तहसील बरनाला में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा [illegible] किसी भी व्यक्ति का उक्त भूमि से कोई उजर या वास्ता नहीं है। प्रार्थी [illegible] खातेदार प्रार्थी की भूमि को दबाते हुए अतिक्रमण करना चाहते है। [illegible] अपनी भूमि का सीमाज्ञान का आदेश करवाया था, आदेश की अनुपालना में दिनांक [illegible] 2024 को हल्का पटवारी जीवद व अन्य मौके पर उपस्थित लोगों के सामने सीमा[illegible] सीमाज्ञान के बाद भी कुछ पडौसी भूमि खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.88 हे० [illegible] पर अतिक्रमण करना चाहते है। जबकि प्रार्थी की उक्त भूमि से दीगर व्यक्तियों [illegible] देना नहीं है। इस कारण भूमि खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.88 हे० ग्राम जीवद [illegible] करवाया आवश्यक हुआ है। जिससे प्रार्थी को भविष्य में कोई परेशानी पैदा ना [illegible] प्रार्थना पत्र धारा 128 राज० भू० अधि० के तहत पेशकर निवेदन है कि राजस्व [illegible] व पुलिस सरंक्षक बाटोदा द्वारा खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.88 हे० ग्राम जीवद [illegible] बरनाला को आदेशित कर पत्थरगढ़ी करवायी जावें। अतः प्रार्थना पत्र पेश [illegible] कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 2861 रकबा 0.88 हे० ग्राम जीवद तहसील बरनाला [illegible] राजस्व कर्मचारियों, गिरदावर, पटवारी हल्का व तहसीलदार बरनाला को आदेशित [illegible] प्रशासन द्वारा पत्थरगढी करवाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज०भू०राज० अधिनियम 1956 पंजीबद्ध किया गया। [illegible] अपने खाते की नकल जमाबंदी [illegible] की ओर से [illegible] का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible] ग्राम जीवद पटवार मण्डल [illegible] भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाटोदा तहसील बरनाला [illegible] खसरा नम्बर 2861 [illegible] 0.88 हे० स्थित ग्राम जीवद तहसील बरनाला [illegible] प्रार्थी के नाम दर्ज है। [illegible] अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। हमारे [illegible] की सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस आदेश से किसी [illegible] के राजस्व अभिलेख में किसी प्रकार का हक व अधिकार तय नहीं होते है तथा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:10:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

Scanned with OKEN Scanner

किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

// आदेश //

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम जीवद पटवार मण्डल जीवद भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र बाटोदा तहसील बरनाला में स्थित खातेदारी हाल खसरा 2861 रकबा 0.88 है0 स्थित ग्राम जीवद तहसील बरनाला भूमि सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने के लिये भू0अ0निरीक्षक बाटोदा को 1000/– रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थी की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतन्त्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में फेरबदल नहीं किया जावे। अतः भू0अ0 निरीक्षक बाटोदा जो कि उक्त प्रकरण में कमिश्नर है, मौके पर उपस्थित प्रार्थी की उपस्थिति में पत्थरगढी की जाकर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करें। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार बरनाला को पालना हेतु लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 8-10-2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर कोर्ट मुख्यालय पर सुनाया गया।

(प्रियंका करेला)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास(सवाई माधोपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Karela
Date: 2025.10.29 17:10:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner